b) Number of Students trained in these two institutes during the last three years in different trades/skill areas is as under:-

A.T.I., Hyderabad	(i) 389	Under Craftsmen Training Scheme.
	(ii) 936	Under craft Instructors Training Programme.
	(iii) 2011	Under Advanced Vocational Training Scheme.
A.T.I.(EPI), Hyderabad-	(i) 3295	Under Advanced Training Scheme for highly skilled technical personnel.

(c) No sir.

(d) Dose not arise.

राशन कार्डधारियों को खाद्य तेलों का आबंटन

*440. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति राशन कार्ड खाद्य तेल की कितनी मात्रा दी जाती है;

(ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में खाद्य तेल आबंटित किया जाना आवश्यक है;

(ग) गत छह महीनों के दौरान प्रतिमाह कितनी-कितनी मात्रा में खाद्य तेल की आपूर्ति की गयी; और

(घ) खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए कोटे को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) खाद्य तेलों के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा नियत राशन की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)** खाद्य तेलों की आपूर्ति के वास्ते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियत राशन की मात्रा इस प्रयोजन के लिए आयातित खाद्य तेलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

(ख) मध्य प्रदेश समेत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित मात्रा का निर्णय अनेक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है । जैसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई वार्षिक मांग, राज्यों के भीतर तेलों की उपलभ्यता, सरकार के पास आयातित तेलों की उपलब्ध मात्रा, खाद्य तेलों के आयात के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा, खुले बाजार में देशीय तेलों के मूल्यों आदि । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, तेलों की कमी को पूरा करने के रूप में होता है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं । मध्य प्रदेश सरकार ने तेल वर्ष 1989-90 के दौरान 60,000 मी. टन की मांग की थी ।

(ग) और (घ) अप्रैल, 90 से सितम्बर, 1990 के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के तहत खाद्य तेलों की आवंटित मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा मी० टन में)

माह	आवंटन	उठाई गई मात्रा
	संपूर्ण देश के लिए	
अप्रैल, 1990 . . .	40,000	2,000
मई, 1990 . . .	50,500	2,000
जून, 1990 . . .	61,100	4,000
जुलाई, 1990 . . .	70,000	4,000
अगस्त, 1990 . . .	90,000	5,000
सितम्बर, 1990 . . .	92,000	5,000

मूल्य वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने 40,000 मी. टन से बढ़ाकर सितम्बर, 1990 में 92,000 मी. टन कर दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए तेल का आवंटन बढ़ा दिया । यह आवंटन अप्रैल में गया है ।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों के मासिक राशन की मात्रा

आपूर्ति हेतु तेलों की उपलब्धता के आधार पर

(सितम्बर 1989 तक उपलब्धता के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन की मात्रा
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों, रंगा रेड्डी जिले के और विशाखापट्टनम और वियजवाड़ा राशन क्षेत्रों में हरे और पीले दोनों कार्ड-धारियों के लिए प्रति कार्ड 1 कि० ग्रा०
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्रति राशन कार्ड 2–3 लीटर
3.	असम	प्रति कार्ड 0.5 से 1 कि० ग्रा०
4.	बिहार	सूचना प्राप्त नहीं
5.	गुजरात	400 ग्राम प्रति व्यक्ति
6.	गोवा	1 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड

1	2	3
7.	हरियाणा	5 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड
8.	हिमाचल प्रदेश	5 सदस्यों तक 2 कि० ग्रा० प्रति कार्ड और 5 सदस्यों से अधिक पर 3 कि० ग्रा० प्रति कार्ड
9.	जम्मू और कश्मीर	2 कि० ग्रा० प्रति कार्ड
10.	कर्नाटक	बंगलौर —1 कि० ग्रा० प्रति कार्ड, ग्रामीण इलाकों में 200 ग्राम प्रति कार्ड, अन्य शहरी क्षेत्रों में 500 ग्राम प्रति कार्ड
11.	केरल	500 ग्राम प्रति कार्ड
12.	मध्य प्रदेश	उपलब्धता के अनुसार 500 ग्राम से 1 कि० ग्रा० प्रति कार्ड
13.	महाराष्ट्र	बम्बई और थाणे में 2 कि० ग्रा० प्रति कार्ड (10 यूनिट में अधिक होने पर) अन्य क्षेत्रों में आधा से 2 कि० ग्रा० प्रति कार्ड
14.	मणिपुर	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 1/2 कि० ग्रा० और शहरी क्षेत्र में प्रति परिवार 1 कि० ग्रा०
15.	मेघालय	उपलब्धता के अनुसार 500 ग्रा० प्रति कार्ड
16.	मिजोरम	500 ग्राम प्रति व्यक्ति
17.	नागालैण्ड	500 ग्राम प्रति व्यक्ति
18.	उड़ीसा	उपलब्धता के अनुसार
19.	पंजाब	5 कि० ग्रा० प्रति कार्ड
20.	राजस्थान	5 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड
21.	सिक्किम	खुली बिक्री
22.	तमिलनाडु	उपलब्धता के अनुसार
23.	त्रिपुरा	प्रति कार्ड 4 लीटर
24.	उत्तर प्रदेश	2 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड
25.	पश्चिम बंगाल	खुली 250 ग्रा० प्रति व्यक्ति अथवा 2 कि० ग्रा० टीन/बोतल अथवा 5 कि० ग्रा० की टीन प्रति परिवार उपलब्धता के अनुसार
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	प्रति एक कार्ड पर 1 कि० ग्रा० और प्रति परिवार कार्ड पर 2 कि० ग्रा०
27.	चण्डीगढ़	4 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड
28.	दादरा व नगर हवेली	एक कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति अधिकतम 6 कि० ग्रा०
29.	दिल्ली	4 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड
30.	लक्षद्वीप	5 कि० ग्रा० प्रति राशन कार्ड
31.	दमन व दीव	4 कि० ग्रा० प्रति कार्ड
32.	पांडिचेरी	प्रति बालिग 1 कि० ग्रा० अधिकतम 2 कि० ग्रा०